नियमों और रेगुलेशंस की समीक्षा

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियम

नियमों मुख्य विशेषताएं

- एक्ट के अंतर्गत आठ ड्राफ्ट नियम अधिसूचित किए गए हैं। इनमें से कुछ के दायरे में निकायों का संयोजन शामिल हैं जिन्हें एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा। इनमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी (सीसीपीए), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों के तीन स्तर शामिल हैं। इनमें इन निकायों के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, चयन प्रक्रिया, सेवा के नियम और शर्तों को भी निर्दिष्ट किया गया है।
- ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नियमों में ई-कॉमर्स एंटिटीज़ और इन प्लेटफॉर्म्स पर विक्रेताओं की विस्तृत बाध्यताओं को निर्धारित किया गया है। ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की बाध्यताओं में उत्पादों और सेवाओं को प्रभावित न करने का कर्तव्य शामिल है, और विक्रेताओं की बाध्यताओं में उत्पादों और सेवाओं के लिए वारंटी और गारंटी प्रदान करना शामिल है।
- ड्राफ्ट डायरेक्ट सेलिंग नियमों में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ की डायरेक्ट सेलर्स के प्रति तथा डायरेक्ट सेलर्स की उपभोक्ताओं के प्रति बाध्यताओं को निर्धारित किया गया है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, डायरेक्ट सेलर को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगी कि वे उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली कीमत से अधिक कीमत पर किसी वस्तु या सेवा को खरीदें। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की बाध्यताओं में यह शामिल है। डायरेक्ट सेलर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों, मूल्यों और भुगतान तथा रिटर्न पॉलिसी की जानकारी अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त हो।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- फाइनांस एक्ट, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों (2020 के) में राष्ट्रीय आयोग का संयोजन, चयन प्रक्रिया, तथा सदस्यों की सेवा की शर्तों का उल्लेख है। इससे पहले के नियमों (2017 के) को 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। यह कहा जा सकता है कि नियम सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के अनुरूप नहीं थे, जिसमें उसने ट्रिब्यूनलों का संयोजन, उसकी सिलेक्शन कमिटी का संयोजन, तथा सदस्यों के कार्यकाल को सुरक्षित रखने में न्यायिक स्वतंत्रता दिए जाने पर जोर दिया था। संशोधित नियमों में अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया है।
- ई-कॉमर्स नियमों के अंतर्गत ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की परिभाषा में मार्केटप्लेस तथा इनवेंटरी मॉडल्स (जहां प्लेटफॉर्म का इन्वेंटरी पर भी स्वामित्व होता है) शामिल हैं। हालांकि नियम दोनों की लायबिलिटी में फर्क नहीं करते। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स एंटिटीज़ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होती हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन उनकी वास्तविक विशेषताओं और उपयोग की शर्तों के अनुरूप हों। यह कहा जा सकता है कि शुद्ध मार्केटप्लेस मॉडल सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं और उनसे उत्पाद की क्वालिटी पर नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है, जो पहले से शादीशुदा है या बायगमी करता है, तो सीसीपीए के सदस्य के रूप में उसका चयन नहीं हो सकता। इसमें अपवाद यह है कि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि शादी पर्सनल लॉ के अंतर्गत कानूनी है और ऐसा करने के 'अन्य' आधार हैं। यह अस्पष्ट है कि अपात्रता यानी डिसक्वालिफिकेशन के ऐसे आधार क्यों निर्दिष्ट किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि एक्ट में अन्य निकायों के सदस्यों के लिए ऐसी शर्तें नहीं दी गई हैं।

रोशनी सिन्हा
roshni@prsindia.org

27 जून, 2020

मुख्य विशेषताएं

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के अंतर्गत आठ ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए हैं।[1] ड्राफ्ट नियम रेगुलेटर, उपभोक्ता आयोगों, और सलाहकार निकायों का संयोजन, चयन, क्वालिफिकेशन, सदस्यों के कार्यकाल और उन्हें हटाने तथा ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कंज्यूमर प्रैक्टिस को रेगुलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त फाइनांस एक्ट, 2017 के अंतर्गत निर्धारित नियम राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, सेवा की शर्तों और चयन को प्रबंधित करते हैं।[2] हम यहां 2019 के एक्ट के अंतर्गत निर्धारित नियम बनाने की शक्तियों और ड्राफ्ट नियमों में इन प्रावधानों के विवरणों के बीच तुलना कर रहे हैं।

एक्ट के अंतर्गत स्थापित अथॉरिटीज़

एक्ट विभिन्न निकायों की स्थापना करता है जिसमें रेगुलेटर, और जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एडजुडिकेटिंग निकाय और सलाहकार परिषदें शामिल हैं। केंद्र सरकार आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों की क्वालिफिकेशन, नियुक्ति के तरीके, कार्यकाल और उन्हें हटाने के नियम तय करेगी। ड्राफ्ट नियमों में सदस्यों के संयोजन, क्वालिफिकेशन, नियुक्ति के तरीके, कार्यकाल, उन्हें हटाने के नियमों को निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 1: 2019 के एक्ट के अंतर्गत स्थापित अथॉरिटीज़

अथॉरिटी	विवरण
जिला आयोग (अधिकार क्षेत्र में एक करोड़ रुपए तक के विवाद)	▪ **संयोजन**: एक्ट कहता है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा और न्यूनतम दो सदस्य, सदस्यों की अधिकतम संख्या को नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नियमों में अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। इनमें एक महिला सदस्य जरूरी होनी चाहिए। ▪ **क्वालिफिकेशन**: अध्यक्ष जिला अदालत का वर्तमान या पूर्व जज होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए क्वालिफाइड हो। अन्य सदस्यों को निम्नलिखित होना चाहिए: (i) उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, (ii) उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, (iii) उन्हें अर्थशास्त्र, कानून और पब्लिक अफेयर्स जैसे कुछ क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ▪ **चयन**: राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य जस्टिस की सलाह से राज्य सरकार अध्यक्ष को नियुक्त करेगी। दूसरे सदस्यों को सिलेक्शन कमिटी के सुझाव के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस कमिटी में उच्च न्यायालय के जज और राज्य सरकार के कानून एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। ▪ **कार्यकाल**: पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। एक बार पुनर्नियुक्ति की अनुमति है।
राज्य आयोग (मूल अधिकार क्षेत्र में एक से दस करोड़ रुपए तक के विवाद और जिले से प्राप्त अपील)	▪ **संयोजन**: एक्ट कहता है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा और न्यूनतम चार सदस्य, सदस्यों की अधिकतम संख्या को नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नियमों में अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि 50% से अधिक सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से नहीं होने चाहिए और इनमें एक महिला सदस्य जरूर होनी चाहिए। ▪ **क्वालिफिकेशन**: अध्यक्ष उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व जज होना चाहिए। अन्य सदस्यों को निम्नलिखित होना चाहिए: (i) उनकी आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए (ii) उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, (iii) उन्हें अर्थशास्त्र, कानून और पब्लिक अफेयर्स जैसे कुछ क्षेत्रों में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ▪ **चयन**: सिलेक्शन कमिटी के आधार पर, सिलेक्शन कमिटी में उच्च न्यायालय के जज (उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा नामित) और राज्य सरकार के कानून एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। ▪ **कार्यकाल**: पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। एक बार पुनर्नियुक्ति की अनुमति है।
राष्ट्रीय आयोग (मूल अधिकार क्षेत्र में दस करोड़ से अधिक के विवाद और राज्य से प्राप्त अपील)	▪ **संयोजन:** आयोग में चार से 11 सदस्य शामिल होंगे। इनमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए। ▪ **क्वालिफिकेशन**: अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व जज या उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस होना चाहिए। अन्य सदस्यों को निम्नलिखित होना चाहिए: (i) उन्हें उच्च न्यायालय का जज, या (ii) 10 वर्षों के लिए जिला जज या अतिरिक्त जिला जज होना चाहिए, या (iii) अर्थशास्त्र, कानून और पब्लिक अफेयर्स जैसे कुछ क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ▪ **चयन**: सिलेक्शन कमिटी के आधार पर, सिलेक्शन कमिटी में उच्च न्यायालय के जज (उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा नामित) और राज्य सरकार के कानून एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। ▪ **कार्यकाल**: चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अन्य सदस्य: चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी	▪ **उद्देश्य (एक्ट):** उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार पद्धतियों और भ्रामक विज्ञापनों को रेगुलेट करना। ▪ **संयोजन:** अध्यक्ष, चार केंद्रीय आयुक्त, पांच क्षेत्रीय आयुक्त। ▪ **चयन:** सिलेक्शन कमिटी में नीति आयोग का एक सदस्य अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार के दो सचिव शमिल होंगे। ▪ **क्वालिफिकेशन:** कानून, अर्थशास्त्र और पब्लिक अफेयर्स जैसे क्षेत्रों में 25 वर्ष का अनुभव। ▪ **कार्यकाल:** पांच वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो। ▪ **हटाना:** इनसॉल्वेंसी या अपराधों, पद के दुरुपयोग आदि के लिए इन्क्वायरी कमिटी के सुझाव पर।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद	▪ **उद्देश्य (एक्ट):** उपभोक्ता अधिकारों के प्रोत्साहन तथा उनके संरक्षण पर सलाह देना। ▪ **संयोजन:** अधिकतम 36 सदस्य जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री (अध्यक्ष), उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री या उपमंत्री (उपाध्यक्ष), दो सांसद, दो राज्य मंत्री (रोटेशन से), उपभोक्ता मामलों के सचिव शामिल हैं। ▪ **कार्यकाल:** तीन वर्ष

Sources: The Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2019; The Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2019; The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020; The Central Consumer Protection Authority (Selection and Term of Office of Chief Commissioner and other Commissioners) Rules, 2019; The Consumer Protection (Central Consumer Protection Council) Rules,2019; The Consumer Protection Act, 2019; PRS.

ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग के प्रावधान

- एक्ट: केंद्र सरकार ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम बना सकती है।
- ई-कॉमर्स पर ड्राफ्ट नियम: ड्राफ्ट नियमों में 'ई-कॉमर्स एंटिटी' को भारत या विदेश में स्थित एंटिटी के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित के द्वारा ई-कॉमर्स व्यापार करती है: (i) इनवेंटरी आधारित मॉडल, जिसमें इनवेंटरी पर एंटिटी का स्वामित्व होता है और वह उसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है, या (ii) मार्केटप्लेस मॉडल, जहां एंटिटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है और क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच लेनदेन को आसान बनाती है। इस परिभाषा में ऐसी एंटिटीज़ शामिल नहीं, जिन्हें सरकार ने किसी अन्य उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया है।
- व्यापार करने की शर्तें: भारत में व्यापार करने वाली प्रत्येक ई-कॉमर्स एंटिटी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 90 दिनों के अंदर कुछ शर्तों का पालन करेगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एंटिटी को भारतीय कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, (ii) कंपनी के प्रमोटर या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों को पिछले पांच वर्ष के दौरान किसी अपराध के लिए सजा घोषित नहीं होनी चाहिए।
- ई-कॉमर्स एंटिटी की लायबिलिटी: इनमें निम्नलिखित कर्तव्य शामिल हैं: (i) उत्पादों और सेवाओं की कीमत को प्रभावित न करना, (ii) उपभोक्ता के उत्पाद संबंधी फैसले को प्रभावित करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल न करना, (iii) विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर के साथ अनुबंध की शर्तों को प्रदर्शित करना, (iv) आंतरिक जांच के बाद वेबसाइट की लिस्टिंग्स से नकली प्रॉडक्ट्स को हटाना, (v) यह सुनिश्चित करना कि प्रॉडक्ट्स और सेवाओं के विज्ञापन उनकी वास्तविक विशेषताओं और उपयोग की शर्तों से मेल खाते हैं, और (vi) बिक्री के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं और सेवाओं की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सूचनाओं को निर्दिष्ट करना।
- विक्रेताओं की लायबिलिटी: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ई-कॉमर्स एंटिटी के साथ लिखित अनुबंध होना कि वह उनके उत्पादों को लिस्ट करेगा और उसे बेचेगा, (ii) अनिवार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और शेल्फ लाइफ की जानकारी देना, और (iii) बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की वारंटी और गारंटी की जिम्मेदारी लेना।
- उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रियाएं: प्रत्येक ई-कॉमर्स एंटिटी से निम्नलिखित अपेक्षित है: (i) यूजर्स को ऐसा मैकेनिज्म देना, ताकि वे वेबसाइट पर अपनी शिकायतें पोस्ट कर सकें और शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण को पब्लिश करना, और (ii) शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उसका निवारण सुनिश्चित करना।
- डायरेक्ट सेलिंग पर ड्राफ्ट नियम: ड्राफ्ट नियम 'डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी' को इस तरह से परिभाषित करते हैं जोकि वस्तुओं को डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बेचती है। इस परिभाषा में ऐसी एंटिटीज़ शामिल नहीं हैं जिन्हें सरकार द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है। डायरेक्ट सेलर्स वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द्वारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए नियुक्त या अधिकृत किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क के अंग के रूप में ऐसी कोई मार्केटिंग, बिक्री या वितरण कारोबार है, जोकि वितरण के विभिन्न स्तरों पर संचालित किए जाते हैं और जो अगले स्तर के डायरेक्ट सेलर्स को भर्ती या स्पांसर कर सकते हैं। इसमें कारोबार स्थायी लोकेशन से नहीं किया जाता और इसमें दूसरी मल्टी लेवल सबस्क्राइबर स्कीम्स जैसे पिरामिड या दूसरी मनी सर्कुलेशन स्कीम्स शामिल नहीं होतीं।
- डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बाध्यताएं: डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह डायरेक्ट सेलर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे जोकि: (क) डायरेक्ट सेलर को इस बात के लिए बाध्य नहीं करे कि वे उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली कीमत से अधिक कीमत पर किसी वस्तु या सेवा को खरीदें, (ख) उन मामलों में अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति दे जहां डायरेक्ट सेलर ने दो वर्ष तक किसी वस्तु या सेवा को न बेचा हो, (ग) डायरेक्ट सेलर के अनुरोध करने पर, उचित शर्तों के साथ रीपर्चेज या बायबैक की गारंटी दे, और (घ) डायरेक्ट सेलर्स को खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा को वापस लौटाने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड दे, जिसे अनुबंध का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी निम्नलिखित नहीं कर सकती, (i) वह अनुचित रिक्रूटिंग पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसमें वास्तविक या संभावित बिक्री या आय की गलतबयानी शामिल है, (ii) वह डायरेक्ट सेलर्स को अपुष्ट बयान नहीं दे सकती, या वादे नहीं कर सकती, (iii) डायरेक्ट सेलर्स को न्यूनतम मासिक सबस्क्रिप्शन या रीन्यूअल चार्ज देने के लिए नहीं कह सकती।
- डायरेक्ट सेलर्स की बाध्यताएं: डायरेक्ट सेलर्स अप्वाइंटमेंट लेकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें उत्पाद या सेवा, उसकी कीमत, क्रेडिट और भुगतान की शर्तों, रिटर्न पॉलिसी, गारंटी की शर्तों और आफ्टर सेल्स सर्विस की पूरी जानकारी देनी होगी। उत्पादों की बिक्री से होने वाली शिकायतों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जिम्मेदार होगी।

मध्यस्थता संबंधी प्रावधान

- **एक्ट:** एक्ट जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के साथ मध्यस्थता इकाइयों का भी प्रावधान करता है। अगर दोनों पक्ष अपने विवाद को मध्यस्थता के जरिए हल करने को तैयार हैं तो आयोग उस मामले को इन इकाइयों के पास भेज सकता है।
- **नियम:** ड्राफ्ट नियम उन मामलों की सूची निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मेडिकल लापरवाही के मामले, जिनका नतीजा गंभीर चोट या मौत हो, (ii) गंभीर धोखाधड़ी के मामले, या (iii) आपराधिक और कम्पाउंडेबल न होने वाले अपराधों (जैसे जिन अपराधों को निपटाया नहीं जा सकता) के लिए प्रॉसीक्यूशन वाले मामले।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

राष्ट्रीय आयोग और उसकी सिलेक्शन बॉडी का संयोजन सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करता है

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट: क्लॉज 29, 43 और 55

एक्ट उपभोक्ता मामलों पर फैसले लेने के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (उपभोक्ता अदालतों) का गठन करता है। वह इस बात की अनुमति भी देता है कि केंद्र सरकार इन अदालतों के सदस्यों की नियुक्ति के तरीके को अधिसूचित कर सकती है।

राज्य और जिला आयोगों के सदस्यों की क्वालिफिकेशन पर ड्राफ्ट उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2019: नियम 3 और 4;

ड्राफ्ट नियम जिला और राज्य आयोगों के संयोजन और इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के तरीके को निर्दिष्ट करते हैं। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का संयोजन और चयन का तरीका ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल तथा अन्य अथॉरिटी (सदस्यों का क्वालिफिकेशन, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 (फाइनांस एक्ट, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित) में प्रदान किया गया है।[2] 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सिलेक्शन कमिटी द्वारा की जाएगी और इस कमिटी में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) भारत के चीफ जस्टिस या सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश, (ii) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जोकि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व जज या उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होने चाहिए, (iii) उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव, और (iv) वाणिज्य मंत्रालय के सचिव।[2] आयोग में न्यायिक और अर्ध न्यायिक (तकनीकी) सदस्य, दोनों शामिल होंगे और इनका कार्यकाल अधिकतम चार वर्ष होगा।

ट्रिब्यूनल नियम, 2020: नियम 3, 4 और 9 अनुसूची के साथ पढ़े जाएं

2020 के ट्रिब्यूनल नियम 2017 के नियमों का स्थान लेते हैं जिन्हें 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।[3] 2017 के नियमों में राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ 26 ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों के क्वालिफिकेशन, सेवा के नियम और शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों के विभिन्न पहलुओं की जांच की और कहा कि 2017 के नियम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फैसलों का अनुपालन नहीं करते थे। इन फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि ट्रिब्यूनल के संयोजन, सिलेक्शन कमिटी द्वारा ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल को सुरक्षित रखने में न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रीय आयोग का संयोजन, उसके सदस्यों के कार्यकाल और उनकी नियुक्तियों का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन कर सकते हैं। हम यहां उन पर चर्चा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल छोटा है

2020 के नियम कहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष रहेगा या जब तक वे 70 वर्ष (अध्यक्ष) और 65 वर्ष (अन्य सदस्य) के होते हैं, इनमें से जो भी पहले होगा। 2017 के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को रद्द किया था और कहा था कि तीन वर्ष का कार्यकाल बहुत छोटा है, और जब तक सदस्य निर्णय संबंधी ज्ञान, अनुभव और कार्यकुशलता प्राप्त करेंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए न्यायालय ने अपने एक पूर्व फैसले का हवाला दिया था जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल के संदर्भ में उसने कहा था कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल पांच या सात वर्ष होना चाहिए।[4] 2020 के नियमों में निर्दिष्ट चार वर्ष का कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कर सकता है।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला आयोगों में तकनीकी सदस्यों को शामिल करना

एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष के तौर पर मौजूदा या रिटायर जज या उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मौजूद होंगे और इसमें चार से लेकर 11 सदस्य होंगे जोकि तकनीकी या न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। आयोग का एक काम यह है कि वह कानून के सवालों पर राज्य आयोगों के आदेशों के खिलाफ सुनवाई करेगा। आयोग का संयोजन राष्ट्रीय टैक्स ट्रिब्यूनल के संयोजन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कर सकता है।[5] इस मामले में न्यायालय ने तकनीकी सदस्यों की क्षमता पर सवाल खड़े किए थे जिनके पास कानून के सवालों से निपटने के लिए कानूनी ज्ञान और अनुभव नहीं हो सकता। 2017 के ट्रिब्यूनल नियमों को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को दोहराया था।[3]

जिला और राज्य आयोगों में तकनीकी सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास अर्थशास्त्र, बिजनेस, कानून या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।[6] यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उपभोक्ता विवाद को हल करने के लिए इन तकनीकी सदस्यों की विशेषज्ञता की जरूरत होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि ट्रिब्यूनलों में तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब तकनीकी विशेषज्ञता जरूरी हो, अन्यथा नहीं क्योंकि तभी ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।[4] उदाहरण के लिए बिजली अपीलीय ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत हो सकती है। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 1986 (यह एक्ट जिसका स्थान लेता है) के अंतर्गत जिला और राज्य आयोगों में तकनीकी सदस्यों पर यही प्रावधान लागू होते हैं।

आयोगों में नियुक्तियों में कार्यकारिणी का दखल

2017 के ट्रिब्यूनल नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सिलेक्शन कमिटी द्वारा की जाएगी और उस कमिटी में चार सरकारी सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होगा। 2017 के नियमों को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा नामित लोग ही ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्तियां करेंगे। अदालत ने अपने पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि उसने न्यायिक नियुक्तियों का फैसला करने के लिए न्यायपालिका की प्रधानता पर जोर दिया था ताकि उसके कामकाज में स्वतंत्रता सुनिश्चित

हो।[3] राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल के सदस्यों के चयन की समीक्षा करते हुए, अपने एक फैसले में अदालत ने एक सिलेक्शन कमिटी के गठन का निर्देश दिया था जिसमें न्यायपालिका और कार्यकारिणी, दोनों के दो सदस्य शामिल हों। कास्टिंग वोट (गतिरोध की स्थिति में) के साथ न्यायिक सदस्य उसका अध्यक्ष होगा।[4]

2020 के नियमों में राष्ट्रीय आयोग की सिलेक्शन कमिटी में दो न्यायिक सदस्य और दो सरकारी नियुक्तियां हैं। हालांकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गतिरोध को कैसे हल किया जाएगा। चूंकि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि गतिरोध की स्थिति में न्यायिक सदस्य का कास्टिंग वोट होगा, यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कर सकता है।

ड्राफ्ट नियमों के ई-कॉमर्स संबंधी प्रावधान

ड्राफ्ट नियम ई-कॉमर्स एंटिटीज़ को परिभाषित करते हैं और इन एंटिटीज़ के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से संबंधित उनकी तथा विक्रेताओं की बाध्यताओं को स्पष्ट करते हैं।[7] इन नियमों से दो सवाल उठते हैं। हम यहां उन पर चर्चा कर रहे हैं।

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट: क्लॉज 94

मार्केटप्लेस मॉडल और इनवेंटरी मॉडल वाली ई-कॉमर्स एंटिटीज़ के बीच अंतर नहीं

ड्राफ्ट उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2019: नियम 3, 4 और 5

ड्राफ्ट नियमों में वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में ई-कॉमर्स एंटिटीज़ और विक्रेताओं की विभिन्न बाध्यताओं को निर्दिष्ट किया गया है। ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की परिभाषा में इनवेंटरी मॉडल (जिसमें इनवेंटरी पर एंटिटी का स्वामित्व होता है और वह उसे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है), मार्केटप्लेस मॉडल (जहां वे क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच लेनदेन को आसान बनाती है) या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल है। हालांकि ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की बाध्यताओं को निर्दिष्ट करते हुए नियम दोनों मॉडल्स के बीच कोई फर्क नहीं करते। परिणाम के तौर पर यह अस्पष्ट है कि कौन सी बाध्यताएं मार्केटप्लेस मॉडल पर लागू होंगी और कौन सी इनवेंटरी मॉडल पर।

उदाहरण के लिए ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि ई-कॉमर्स एंटिटीज़ का यह कर्तव्य है कि वे उत्पादों और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित न करें (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) और लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रखें। कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रावधान इनवेंटरी मॉडल पर लागू नहीं होंगे, चूंकि इस मॉडल में ई-कॉमर्स एंटिटी उत्पाद की विक्रेता भी होती है और इसलिए उसके पास मूल्य निर्धारण का फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए (उदाहरण के लिए अपने उत्पाद की कीमत तय करना)। फिर, सभी विक्रेताओं को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से संबंधित प्रावधान इनवेंटरी मॉडल पर लागू नहीं होंगे क्योंकि ई-कॉमर्स एंटिटी ही प्लेटफॉर्म पर अकेली विक्रेता है।

ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की कुछ बाध्यताएं उत्पादों के विक्रेताओं पर लागू, मार्केटप्लेस पर नहीं

ड्राफ्ट नियम ई-कॉमर्स एंटिटीज़ की कुछ बाध्यताओं को निर्दिष्ट करते हैं। इनमें यह कर्तव्य भी शामिल है कि वे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं करेंगे (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से), विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर के साथ अनुबंध की शर्तों को प्रदर्शित करेंगे और वेबसाइट की लिस्टिंग्स से नकली प्रॉडक्ट्स को हटाएंगे।

हालांकि ड्राफ्ट नियमों में ई-कॉमर्स एंटिटीज़ से यह अपेक्षा भी की गई है कि वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के विज्ञापन उनकी वास्तविक विशेषताओं और उपयोग की शर्तों के अनुरूप हों। यह कहा जा सकता है कि ये बाध्यताएं सिर्फ उत्पाद के विक्रेता और इनवेंटरी मॉडल पर लागू होने चाहिए क्योंकि उत्पाद पर विक्रेता का स्वामित्व होता है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए किसी वस्तु को लिस्ट करते समय उत्पादों का पूरा विवरण देगा। इसमें उस उत्पाद की विशेषताएं और उसके उपयोग की शर्तें भी शामिल हैं। विशुद्ध मार्केटप्लेस मॉडल सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं और उत्पाद की क्वालिटी को नियंत्रित नहीं करते। उल्लेखनीय है कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (और उसके नियम) इंटरमीडियरीज़ को थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन को होस्ट या ट्रांसमिट करने की लायबिलिटी से इम्युनिटी देते हैं, इसमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस जैसे ऑक्शन वेबसाइट्स भी शामिल हैं।[8] इस सिद्धांत को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले में दोहराया गया था।[9]

यह भी कि ड्राफ्ट नियमों के अंतर्गत अगर डिलिवर होने वाले उत्पाद विवरण के अनुकूल नहीं तो उपभोक्ताओं के पास ई-कॉमर्स एंटिटी के खिलाफ रेमिडी है। अगर उत्पाद विज्ञापन में दिखाई गई विशेषता से मेल नहीं खाता, तो ई-कॉमर्स एंटिटी 14 दिनों के भीतर वस्तुओं की वापसी करने और धन को रीफंड करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त 2019 का एक्ट केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी को इस बात की अनुमति देता है कि वह गलत या भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए जुर्माना लगा सकती है।

रेगुलेटर के सदस्यों की शादी से संबंधित डिसक्वलिफिकेशन

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट: क्लॉज 94

एक्ट उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहित, संरक्षित और मजबूत करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी बनाता है। अथॉरिटी में चीफ कमीश्नर अध्यक्ष होंगे और अन्य कमीश्नर शामिल होंगे। केंद्र सरकार नियमों के जरिए अथॉरिटी के चीफ कमीशनर और कमीशनर्स की क्वालिफिकेशन, नियुक्ति के तरीके, कार्यकाल और उन्हें हटाने का फैसला करेगी।

ड्राफ्ट सीसीपीए (चीफ कमीशनर और अन्य कमीशनर्स का चयन और कार्यकाल) नियम, 2019: नियम 6

ड्राफ्ट नियम बताते हैं कि किस आधार पर किसी को कमीशनर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी डिस्क्वालिफिकेशन का आधार प्रदान करते हैं।[10] जैसे अगर किसी व्यक्ति ने (i) ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसका कोई स्पाउस है, या (ii) स्पाउस होने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है। नियम यह भी कहते हैं कि यह डिस्क्वालिफिकेशन तब लागू नहीं होगा, जब केंद्र सरकार को इस बात की संतुष्टि होगी कि दो पक्षों के पर्सनल लॉ के अंतर्गत शादी की अनुमति है *और* ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं। यह अस्पष्ट है कि कमीशनर के डिस्क्वालिफिकेशन के आधार को उसकी विवाह की स्थिति से क्यों जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अस्पष्ट है कि अगर शादी पर्सनल कानून के अंतर्गत वैध पाई जाती है तो भी केंद्र सरकार को उसके 'आधारों' से क्यों संतुष्ट होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऐसे ही आधार उपभोक्ता संरक्षण परिषदों (एडवाइजरी बोर्ड) या उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे आधारों तक सीमित है, जैसे नैतिक अपराधों के लिए सजा या सरकारी सेवा से बर्खास्तगी।

ड्राफ्ट नियमों की परिभाषाओं में स्पष्टता का अभाव और ड्राफ्टिंग संबंधी समस्याएं

उपभोक्ता संरक्षण एक्ट: क्लॉज 94

ड्राफ्ट उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2019: नियम 2, 3, और 6

ड्राफ्ट डायरेक्ट सेलिंग नियम, 2019: नियम 2 और 3

ड्राफ्ट सीसीपीए (चीफ कमीशनर और अन्य कमीशनर्स का चयन और कार्यकाल) नियम, 2019: नियम 4, 9, 11 और 12

ड्राफ्ट नियम ई-कॉमर्स एंटिटीज़ और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं की कुछ बाध्यताओं को निर्दिष्ट करते हैं। नियम 'वस्तु' शब्द की परिभाषा को वस्तुओं की बिक्री एक्ट, 1930 में दी गई परिभाषा से जोड़ते हैं। 1930 के एक्ट में 'वस्तु' की परिभाषा में सभी प्रकार की चल संपत्ति आती है पर इसमें कार्रवाई योग्य (एक्सचेंबल) दावों और धन शामिल नहीं है। 'विक्रेता' में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो ऐसी 'वस्तुओं' को बेचते हैं। यह परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 में इन शब्दों की परिभाषा से अलग है। 2019 के एक्ट में 'वस्तु' की परिभाषा में हर किस्म की चल संपत्ति शामिल है। यह स्पष्ट नहीं है कि ड्राफ्ट नियमों में इस शब्द की अलग परिभाषा क्यों दी गई है। उल्लेखनीय है कि डायरेक्ट सेलिंग के नियमों में भी अलग परिभाषा दी गई है।

इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि हर ई-कॉमर्स एंटिटी या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जोकि भारत में कारोबार करना चाहता है, को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इनमें से एक शर्त में यह अपेक्षा की गई है कि कंपनी के प्रमोटर या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों को पिछले पांच वर्ष के दौरान किसी अपराध के लिए सजा घोषित नहीं होनी चाहिए। नियमों में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि 'मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों' में कौन-कौन शामिल है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि नियम के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव हो। उल्लेखनीय है कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत 'मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों' में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनांशियल ऑफिसर और अन्य प्रबंधकीय तथा पूर्णकालिक डायरेक्टर आते हैं।[11]

ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 'शिकायत निवारण प्रक्रिया में एनसीएच के साथ कन्वर्ज करने की व्यवस्था/प्रणाली' प्रदान करनी चाहिए। हालांकि नियमों में कहीं भी 'एनसीएच' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी पर ड्राफ्ट नियमों में ड्राफ्टिंग संबंधी त्रुटियां भी हैं। उदाहरण के लिए ड्राफ्ट नियमों के नियम 12 में एक कमिटी द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने का उल्लेख है और इस कमिटी का गठन नियम 9 (2) के अंतर्गत किया गया है। हालांकि नियम 9 (2) में रिक्तियों के प्रावधान शामिल हैं और इसमें किसी जांच कमिटी का कोई उल्लेख नही है। जांच कमिटी के गठन के प्रावधान नियम 11 (2) में हैं जोकि कमीशनर्स को हटाने के संदर्भ में है। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट नियमों के नियम 4 (1) में अथॉरिटी में पांच केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय कमीशनर्स की नियुक्ति का उल्लेख है। हालांकि एक्ट में केवल केंद्रीय अथॉरिटी के कमीशनर्स की नियुक्ति का उल्लेख है (जोकि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हो सकते हैं) और इसमें 'क्षेत्रीय कमीशनर्स' की नियुक्ति की प्रावधान नहीं है।

---

[1] The eight Draft Rules are: (i) the Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2019, (ii) the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2019, (iii) the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules,2019, (iv) the Central Consumer Protection Authority (Selection and Term of Office of Chief Commissioner and other Commissioners) Rules, 2019, (v) the Consumer Protection (Central Consumer Protection Council) Rules, 2019, (vi) the Consumer Protection (e-Commerce) Rules, 2019, (vii) the Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2019, and (viii) the Consumer Protection (Mediation) Rules, 2019.

[2] The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, http://highcourt.cg.gov.in/drt/2020/endt_330_04032020.pdf.

[3] Rojer Mathew vs. South India Bank Ltd (2018)16SCC341.

[4] R. Gandhi v. Union of India, (2010) 11 SCC 1.

[5] Madras Bar Association v. Union of India, 2014 (10) SCC 1.

[6] The Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2019.

[7] The Consumer Protection (e-Commerce) Rules, 2019.

[8] Section 79 of The Information Technology Act, 2000, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1999/3/A2000-21.pdf.

[9] Amazon Seller Services Pvt Ltd and Ors vs. Amway India Enterprises Pvt Ltd and Ors 2020 (81) PTC 399 (Del).

[10] The Central Consumer Protection Authority (Selection and Term of Office of Chief Commissioner and other Commissioners) Rules, 2019.

[11] The Companies Act, 2013, https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रुपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।